"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]　　　　रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 फरवरी 2018 — माघ 13, शक 1939

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-71/सात-1/2017. — छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 258 की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (2) के खण्ड (बासठ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त संहिता की धारा 241 के अधीन निर्मित शासकीय वनों से लगे हुए ग्रामों में इमारती वृक्षों को गिराने तथा हटाने को विनियमित करने के संबंध में विद्यमान नियम (यथा संशोधित), जो इस विभाग की अधिसूचना क्र. 218-6477-सात-एन (नियम), दिनांक 06 जनवरी, 1960 द्वारा अधिसूचित है, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

1. नियम 3 के उप-नियम (2) में अंक तथा शब्द "3 मास" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "1 मास" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. नियम 4 में, जहां कहीं भी शब्द "तीन मास" आया हो के स्थान पर, शब्द "एक मास" प्रतिस्थापित किया जाये.

No. F 4-71/seven-1/2017.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (1xii) of sub-section (2) of Section 258 read with Section 241 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, makes the following amendments in the existing Rules Regarding Regulation of the Felling and Removal of Timber in Village Adjoining Government Forests (as amended) framed under Section 241 of the said

Code notified vide this department's Notification No. 218-6477-VII-N (Rule), dated 06th January, 1960, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In sub-rule (2) of rule 3, for the figure and word " 3 months " the figure and word " 1 month " shall be substituted.

2. In rule 4, for the word "three months", wherever they occur, the words "one month" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.